इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मार्च 2011—फाल्गुन 10, शक 1932

गृह विभाग (सी—अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ-35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जावे.

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा की 4 की (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,एतदद्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से उपधारा इन्कार किये जाने को दिनांक 01 मार्च 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

एन.टी.पी.सी. के विन्धाचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली के अधीन कार्यरत समस्त कार्यक्षेत्र, मेरी गो राउण्ड (एम.जी.आर.), कार्यक्षेत्र एवं ऐश डाइक क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, ऑपरेटिव (प्रचालित) तथा अनुसचिवीय कर्मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 01 मार्च 2011

क्र. एफ 35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 1st March 2011

F. No. 35-61-2005-II-C-1.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below:

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 1st March, 2011 for a period of three months.

SCHEDULE

"Scientific, technical, operative, construction, erection and ministerial personnel connected with All Working Areas, Merry Go Round Area and Ash Dyke Area of N.T.P.C. Vindhyachal Super Thermal Power Station, Vindhya Nagar, Distt. Singrauli."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.